न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–223/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00076)

01. अमरचन्द पुत्र स्व. श्री चौगानमल, जाति जैन निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
02. श्रीमती मिश्रीदेवी धर्मपत्नी स्व. श्री चौगानमल, जाति जैन निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर **(मृतक दौराने अपील)**
03. श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्र श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री मोहनलाल, जाति जैन (बैंकवाले) निवासी मु.पोस्ट सवाईमाधोपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
04. श्रीमती बीना देवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री राजेश कुमार जाति जैन निवासी मकान नम्बर 660, मनिहारों का रास्ता जयपुर।
05. श्रीमती कुसुम देवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार, जाति जैन निवासी ग्राम खोरारावजी तहसील दौसा जिला दौसा।
06. श्रीमती अंतिमदेवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री पारस जैन निवासी जैन कॉलोनी, मु. पो. मदनगंज किशनगढ, अजमेर।
07. श्रीमती संतोषदेवी पुत्री स्व. श्री चौगानमल धर्मपत्नी श्री त्रिलोकचन्द जाति जैन निवासी बडा जैन मन्दिर के पास मु0मु0 मौजमाबाद, जयपुर।
08. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री रतनलाल, जाति जैन निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
09. अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री रतनलाल जाति जैन निवासी ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. श्रीमती ललिता पुत्री स्व. श्री रतनलाल जैन धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र कुमार लुहाडिया, जाति जैन, निवासी चन्द्रप्रभ जैन मन्दिर के समाने झोटवाड़ा, जयपुर।
11. श्रीमती मंजू पुत्र स्व. श्री रतनलाल जैन धर्मपत्नी श्री महेश कुमार जैन, जाति जैन निवासी दादी का फाटक के पास बैनाड़ रोड़ झोटवाडा, जयपुर।
12. राजमल पुत्र स्व. श्री छिगनलाल, जाति जैन निवासी मकान नम्बर 747, मिश्र राव जी का रास्ता चॉदपोल बाजार जयपुर।
13. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्री छिगन जाति जैन निवासी ग्राम खेराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
14. सरदार पुत्र हनुमानराम, जाति यादव निवासी ग्राम उदयपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
15. नेकीराम पुत्र स्व. श्री छोटूदास, जाति स्वामी निवासी 72, जमनापुरा, मुरलीपुरा जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
16. हजारी लाल पुत्र श्री रामनिवास जाति स्वामी निवासी ग्राम मण्डावरा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
17. रामस्वरूप पुत्र श्री नारायणराम, जाति जाट निवासी प्लॉट नम्बर 14, पवनपुरी मुरलीपुरा जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

बनाम

1. छीतरमल,
2. पदमचन्द पुत्रान स्व. केसरलाल, जाति जैन,
3. नेमीचन्द निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 16.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2015 (प्रकरण संख्या 97/2006) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक परवर्स आर्बीट्रेररी एवं कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ तहसीलदार आमेर के समक्ष अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण का केवल मात्र सिविल वाद विचारण होने के आधार पर ही निरस्त कर दिया है जो कि कतई विधि सम्मत नही है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार जब तक क्रेता के हक में किया गया विक्रय पत्र प्रभावशील रहता है तब तक उस विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को निरस्त नही किया जा सकता है इसलिये भी अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जबकि सही व वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये किसी प्रकार के कोई भी नोटिस प्राप्त ही नही हुए तथा अपीलान्ट में से किसी ने भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये किसी भी प्रकार के कोई भी नोटिस प्राप्त नही हुऐ तथा अपीलान्ट में से किसी ने भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिसों को इन्कार नही किया बल्कि सही बात यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने डाकिये से मिलकर षडयंत्रपूर्वक फर्जी व असत्य इन्कारी की रिपोर्ट तैयार करवाई है तथा रेस्पोडेन्ट ने जिस अखबार में नोटिसो का प्रकाशन करवाया है वह अखबार भी अपीलान्ट के क्षेत्र में नही आता ऐसे अखबार में रेस्पोडेन्ट्स ने जानबुझकर नोटिसों का प्रकाशन करवाया है इसलिये भी अपीलान्ट्स को सुनवाई का अधिकार से वंचित किया गया है तथा प्राकृतिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्तों से डिबार किया गया है इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा इस तथ्य पर तनिक भी गौर नही किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण से रेस्पोडेन्ट्स के अधिकारों पर कतई कोई विपरित प्रभाव नही पड़ा है तथा उक्त नामान्तरकरण से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 प्रभावित नही है तथा रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन नामान्तरकरण में पार्टी इन प्रोसिडिंग भी नही थे, ऐसी अवस्था में रेस्पोडेन्ट को अपील पेश करने का अधिकार ही नही था, ऐसे होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यों पर ध्यान नही देकर भयंकर विधिक भूल की है इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट्स को कतई कोई जानकारी नही थी तथा अपीलान्ट् को सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 19.07.2010 को रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस उक्त अपीलाधीन आदेश पारित होने के बारे में बताने पर जानकारी हुई तथा अपीलान्ट ने जयपुर आकर दिनांक 26.07.2010 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क करके उक्त दिनांक को ही नकल प्राप्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 28.07.2010 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर तुरन्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गयी है तथा अपील प्रस्तुत किये जाने में जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है इसलिये उक्त देरी को न्यायहित में माफ किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2009 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि जब विक्रेतागण अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 13 के ही भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार के कोई अधिकार नही है तब उनके द्वारा भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध मे अपीलान्ट सख्या 14 लगायत 17 के पक्ष में विक्रय पत्र तहरीर कर पंजीकृत करा देने से भूमि विवादग्रस्त में क्रेतागण को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है परन्तु फिर भी तहसीलदार ने नामान्तरकरण तस्दीक करने में भारी कानूनी भूल कारित की है। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी विवादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 76/1023, 77/1024, 80/748, 82, 84/7[illegible], 92/803 व 81 कुल किता 7 कुल रकबा 2.05 हैक्टयर, साबिका खसरा नम्बर 54 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा तथा भूमि हाल खसरा नम्बर 369 रकबा 0.25 हैक्टयर साबिका खसरा नम्बर 338 रकबा 1 बीघा स्व. श्री गणेशलाल पुत्र सुवालाल की खातेदारी में दर्ज थी, श्री गणेशलाल के जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. श्री केसरलाल पुत्र श्री सन्तोष चंद्र जैन भूमि विवादग्रस्त पर तन्हा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे इसलिये श्री गणेशलाल का स्वर्गवास हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 19.07.1964 को रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. श्री केसरलाल पुत्र सन्तोष चन्द्र जैन के नाम तस्दीक कर दिया गया और राजस्व भू–अभिलेखों में स्व.

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

श्री केसरलाल का नाम खातेदार कृषक के रूप मे अंकित कर दिया गया, उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील इत्यादि की श्रृंखला में उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपील संख्या 17/2002 में दिनांक 10.07.2006 को निर्णय पारित कर तहसीलदार आमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि दोनों पक्षों को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार निर्णय पारित करें परन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तहसीलदार आमेर ने साजिशी रूप से दिनांक 26.09.2006 को नामान्तरकरण अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 13 के पक्ष में तस्दीक किये जाने का आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन होने के तथ्य की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी अधीनस्थ तहसीलदार आमेर द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी भी पक्षकारान के हक, हकूक अधिकार को तय नही किया जा सकता है, यह तो केवल नियमित वाद में ही तय किये जा सकते है जिस बाबत पक्षकारान के मध्य नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने यह भी कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपील संख्या 123/2006 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2007 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर अपील 8830/2007 में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2017 में पक्षकारान के मध्य नियमित राजस्व वाद लम्बित होना मानते हुए अपीलान्ट की अपील को इस निर्देश के साथ निस्तारित की गई है कि ''राजस्व अभिलेख में अंकन नियमित वाद के निर्णय के अनुरूप किया जाएगा तब तक राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाए रखी जावें''। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नम्री का रुख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकरान के हक, हकूक अधिकार तय नही होते है तथा चूँकि पक्षकारान के मध्य नियमित वाद न्यायालय सहायक जिलाधीश आमेर जिला जयपुर के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन है तथा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर अपील संख्या 8830/07 के निर्णय दिनांक 06.06.2017 में

भी वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व अभिलेख में अंकन नियमित वाद के निर्णय के अनुरूप ही किया जावेगा मानते हुए राजस्व अभिलेख की यथास्थिति जारी करते हुए अपीलान्ट की अपील को निस्तारित किया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अधीनाधीन आदेश दिनांक 09.04.2009 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर